



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/SER-886/RJ/29/2023-SSW

दिनांक: 25/05/2023

श्री अशोक कुमार
सचिव
शिक्षा विभाग,
GNCSTD, Old Secretariat,
नई दिल्ली-110054, दिल्ली 110054
(Email Id: secyedu@nic.in)
(Tel. No: 23890187)

विषय: अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को TGT सामाजिक विज्ञान (पोस्ट कोड न 39/21) में शिक्षा निदेशालय, दिल्ली द्वारा नियुक्ति ना देने के संबंध में :- सुभाष चन्द्र मीना, (रोल न. 111303900055), जिला दौसा, राजस्थान का दिनांक 13.12.2022 का अभ्यावेदन ।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को Subhash Chandra Meena से दिनांक 13/12/2022 में एक याचिका प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आयोग को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

(आर. एस. मिश्र / R.S. Misra)
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer
दूरभाष सं.: 011-24641640

प्रतिलिपि सूचनार्थः

Subhash Chandra Meena,
Post-Khan Bhankari,
Village- Mangbhata, Tehsil and District- Dausa (Rajasthan),
Mobile No:8387054182
(कृपया अपना ST certificate आयोग में उपलब्ध करने का कष्ट करें।)

NIC, NCST (please upload on the website)